न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्याः- प्रार्थना पत्र संख्या 29 / 2019

निर्णय दिनांक :- 24.6.2019

महेशकुमार उर्फ मोहन पुत्र स्व. जुहारा उर्फ जुहाराराम जाति जाट निवासी घुमान्दा तहसील रतनगढ जिला चूरू

... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

...अप्रार्थी

उपस्थितः-

1. श्री मगनाथ सिद्ध अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में अकिंत नाम का शुद्वीकरण करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत खाता संख्या नया 139 खसरा नं. 164,165,166 कुल तादादी 13.1269 हैक्टर भूमि वाके रोही घुमान्दा तथा खाता संख्या नया 140 के ख.नं. 173 कुल तादादी 12.9373 वाके रोही घुमान्दा तहसील रतनगढ में स्थित है, जिसके प्रार्थी का हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। राजस्व

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

रेकार्ड में गलती से प्रार्थी का नाम महेशकुमार पुत्र जुहाराराम के स्थान पर मोहन पुत्र जुहारा अकिंत हो गया है। जिसको शुद्व करवाना आवश्यक है।

3. प्रार्थी के आधार कार्ड, शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्रों, राशन कार्ड, पासपोर्ट, आदि में महेशकुमार पुत्र जुहाराराम सही नाम अकिंत है जिसके अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व नाम अकिंत किया जावे

4. तहसीलदार, रतनगढ को शुद्विकरण करने हेतु निवेदन करने पर न्यायालय से आदेश लाने पर ही शुद्विकरण करने का कहा ओर दिनांक 10.6.2019 को नाम सुद्व करने के लिए मना कर दिया। जिसके कारण प्रार्थीनीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वादाधार व वादहेतुक प्राप्त हुआ है।

5. प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेत खाता संख्या नया 139 खसरा नं. 164,165,166 कुल तादादी 13.1269 हैक्टर भूमि वाके रोही घुमान्दा तथा खाता संख्या नया 140 के ख.नं. 173 कुल तादादी 12.9373 वाके रोही घुमान्दा तहसील रतनगढ के राजस्व रेकार्ड में शुद्वि की जाकर मोहन पुत्र जुहारा के स्थान पर महेशकुमार पुत्र जुहाराराम अकिंत करने का आदेश फरमाया जावे।

6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई।

7. तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 24.6.2019 के द्वारा न्यायालय में प्राप्त हुई।

8. तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त खातेदारी के खेत खाता संख्या नया 139 खसरा नं. 164,165,166 कुल तादादी 13.1269 हैक्टर भूमि वाके रोही घुमान्दा तथा खाता संख्या नया 140 के ख.नं. 173 कुल तादादी 12.9373 वाके रोही घुमान्दा तहसील रतनगढ के राजस्व रेकार्ड में मोहन पुत्र जुहारा अकिंत है, जो अशुद्व है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम महेशकुमार पुत्र जुहाराराम अकिंत है। मोहन एवं महेशकुमार एक ही व्यक्ति है। जिसे शुद्व किया जाना उचित है।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

9. बहस अभिभाषक प्रार्थीनीगण एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थना पत्र, राजस्व रेकार्ड एवं प्रार्थीनीगण की ओर से प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता, भामाशाह कार्ड , शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र, व पासपोर्ट एवं तहसीलदार रतनगढ की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट आदि का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम महेशकुमार पुत्र जुहाराराम सभी दस्तावेजात मे अकिंत है परन्तु राजस्व रेकार्ड मे मोहन पुत्र जुहारा अकिंत है। प्रार्थी का शुद्व नाम महेशकुमार पुत्र जुहाराराम है, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत रेकार्ड, एवं तहसीलदार रतनगढ की रिपोर्ट से होती है। इसलिए राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत खाता संख्या नया 139 खसरा नं. 164,165,166 कुल तादादी 13.1269 हैक्टर भूमि वाके रोही घुमान्दा तथा खाता संख्या नया 140 के ख.नं. 173 कुल तादादी 12.9373 वाके रोही घुमान्दा तहसील रतनगढ के राजस्व रेकार्ड में मोहन पुत्र जुहारा अकिंत है, जो अशुद्व है। जिसे महेशकुमार उर्फ मोहन पुत्र जुहाराराम शुद्व अकिंत करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 24.6.2019 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)